कार्यालय–अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।

पत्रांक /अभि०वि०/एडीए/2017–18 दिनांक: 18.9–2017

ई–प्रोक्योरमेण्ट नोटिस– 01

उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में पात्र श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से एवं विशेष कार्य हेतु अनुभव प्राप्त ठेकेदारों से (परसेन्टेज) रेट निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है।

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने का समय	अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय का पता	ठेकेदारों की श्रेणी
1	रामघाट रोड पर कृष्णा बिहार (रेलवे कालोनी) में सी0 सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	38.75	3.88	2200	02 माह	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, रामघाट रोड, अलीगढ़।	ए0, बी0, सी0 डी0 श्रेणी
2	स्वर्ण जयन्ती नगर विस्तार योजना में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	11.58	1.16	1150	02 माह	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, रामघाट रोड, अलीगढ़।	ए0, बी0, सी0 डी0 श्रेणी

1. निविदा प्रपत्र की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (बिना वापसी) के रूप में जो उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पक्ष में अलीगढ़ पर देय हो।
2. निविदा की धरोहर धनराशि (बिड सिक्योरिटी) की एन0एस0सी0 अथवा एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक की हो तथा उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ के पक्ष में बन्धक हो, मान्य होंगी।
3. बिड डाक्यूमेन्ट ऑन–लाईन http://www.etender.up.nic.in पर दिनांक–20.09.2017 से दिनांक–03.10.2017 तक उपलब्ध होगी एवं उसी पर दिनांक–03.10.2017 को अपरान्ह 06:55 बजे तक सबमिट की जा सकती है।
4. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेब साईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जो निःशुल्क है। निविदायें ऑन लाईन डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथोरिटी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आकांक्षी निविदादाता जिन्होंने यूजर आई0डी0 एवं पास वर्ड नहीं प्राप्त किया है, ये ई–टेण्डरिंग के माध्यम से भाग लेने हेतु वेबसाईट http://www.etender.up.nic.in से प्राप्त कर सकते है।
5. निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र उपरोक्त साईट पर स्कैन कर अपलोड करने के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ के कार्यालय में दिनांक–04.10.2017 अपरान्ह 01:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नान–रिस्पान्सिव घोषित कर दी जायेगी।
   (अ) निविदा मूल्य सम्बन्धी मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट।
   (ब) बिड सिक्योरिटी (बिड डाक्यूमेण्ट के अनुसार अनुमन्य रूप में) मूल (ओरिजनल) रूप में।
   (स) निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में।
6. ई–प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदायें डालने की अन्तिम तिथि 03.10.2017 सायं 06:55 बजे तक है।
7. उपरोक्त निविदा केवल ऑन लाईन डाली जा सकती है। अतः निविदा वेबसाइट http://www.etender.up.nic.in पर ही सबमिट की जा सकती है। निविदा की तकनीकि बिड पार्ट–1 ऑन लाईन दिनांक–04.10.2017 को अपरान्ह 2:00 बजे खोली जायेगी। यदि उक्त दिनांक को कार्यालय अवकाश रहता है तो अगले कार्यकारी दिवस में निविदा उपरोक्तानुसार खोली जायेगी।
8. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम 90 दिन वैध होगी।
9. निविदा प्रपत्रों में वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित विवरण, योग्यताओं, अर्हताओं, कार्य का प्लान, ड्राइंग, विशिष्टियॉ एवं कार्य की मात्रा, कार्य की श्रेणी तथा शर्तें, जिनको पूर्ण करना अनिवार्य है, को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस की जानकारी की जा सकती है।
10. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–02 ऑडिट/08टी0सी0–2, लो0नि0वि0–12, लखनऊ दिनांक–08.06.12 के कम में निविदादाता से 10 प्रतिशत बिलों तक 0.50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफोरमेन्स जमानत राशि देय होगी।
11. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
12. किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
13. निर्माण कार्य का साईट बाइज अधिष्ठान पंजीयन शत प्रतिशत, स्वयं का तथा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित (टी0–4, टी0–5 एवं टी0–6) अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

15. ऐसे कार्य जिनकी कार्य लागत रू0 10.00 लाख से अधिक हो सारी सूचनायें सेक्शन–3 में निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र के रूप में देनी होगी, जिससे निविदादाता की बिड केपेसिटी आंकलित की जा सके। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व बिड कपेसिटी के लिये स्वयं संतुष्ट करना होगा बिड क्षमता सेक्शन–3 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी, जो निविदादाता आवश्यक बिड केपेसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी, जैसे कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में कार्यरत है।
17. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य/केन्द्र सरकारों की सेवा से दो साल सेवानिवृत्ति के पूर्ण नहीं हुये हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं की जायेगी। यदि आते है उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जाती है।
18. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
19. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत है वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
20. निविदादाता का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
21. निविदा को गोपनीयता को बनाये रखने के उद्देश्य से निविदादाताओं द्वारा प्रपत्रों के लिफाफों को बन्द कर उन पर बिड आई0डी0 संख्या (जो कि ऑन लाईन निविदा सबमिट करने पर वेबसाईट द्वारा प्रजनित होती है) टेण्डर आई0डी0 'ए' एवं कार्य का नाम लिखा जायेगा। लिफाफों के ऊपर निविदादाता द्वारा किसी भी दशा में अपना/फर्म का नाम अंकित नहीं किया जायेगा।
22. उपरोक्त निविदायें एकल बिड सिस्टम पर आमंत्रित है।
23. विभाग में 'ए' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार बी0, सी0, डी0 श्रेणी की निविदा के पात्र है एवं इसी प्रकार बी0 श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सी0, डी0 श्रेणी तथा सी0 श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार डी0 श्रेणी की निविदा के पात्र है, परन्तु डी0 श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार के लिये निविदा की सीमा 40.00 लाख तक है तथा सी0 श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार के लिये निविदा की सीमा 75.00 लाख है तथा बी0 श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार के लिये निविदा की सीमा 2.00 करोड़ है एवं ए0 श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार के लिये निविदा की सीमा 2.00 करोड़ से अधिक की है।

अन्य विवरण निविदा प्रपत्रों में देखे जा सकते है। किसी भी प्रकार के सिस्टम फेलियर के कारण हुई देरी जो कि नियोक्ता से सम्बन्धित नहीं हैं, के सम्बन्ध में नियोक्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह बिड से सम्बन्धित अपलोड सिस्टम से स्वयं प्राप्त करें इस हेतु नियोक्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

अधिशासी अभियन्ता
अलीगढ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़।

पत्रांक 2796(2)/तद्दिनांक
प्रतिलिपि:– 1. उपाध्यक्ष/सचिव/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को सूचनार्थ।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6/09/17

अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ।

p-xen sir 2017